

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ) प्रेस नोट

- जिला डीग में देवी सिंह उपखण्ड अधिकारी डीग व मुकेश कुमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (रीडर) उपखण्ड कार्यालय डीग 80,000/—रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 19 सितम्बर, शनिवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी धौलपुर ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये देवी सिंह उपखण्ड अधिकारी डीग व मुकेश कुमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (रीडर) उपखण्ड कार्यालय डीग द्वारा परिवादी से उसकी स्वयं की विवादित जमीन का रिसिवर आदेश कराने की एवज में एसडीएम के रीडर मुकेश कुमार द्वारा एसडीएम देवी सिंह के कहने पर एक लाख रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि परिवादी द्वारा ब्यूरो इकाई धौलपुर पर रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाने बाबत एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो रिश्वत मांग सत्यापन में रीडर मुकेश कुमार ने परिवादी से एसडीएम व स्वयं के लिये एक लाख पचास हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई, इस पर परिवादी के निवेदन करने पर 80,000/— रुपये लेने पर सहमत हुये। उक्त मांग के अनुसरण में रिश्वती राशि 80,000/— रुपये आज दिनांक 19.09.2025 को परिवादी से एसडीएम देवी सिंह के कहने पर रीडर मुकेश कुमार द्वारा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय डीग में प्राप्त करना एवं प्राप्त की गई 80,000/— रुपये की राशि मुकेश कुमार रीडर के कार्य करने की टेबिल पर रखी हुई बरामद होने पर आरोपी मुकेश कुमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (रीडर) व देवी सिंह उपखण्ड अधिकारी जिला डीग को मौके पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

जिस पर एसीबी रेंज भरतपुर के उप महानिरीक्षक श्री राजेश सिंह के सुपरविजन में एसीबी चौकी धौलपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ज्ञान सिंह चौधरी के नेतृत्व में ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपीगण देवी सिंह उपखण्ड अधिकारी जिला डीग व मुकेश कुमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (रीडर) को 80,000/— रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 80,000/— रुपये रिश्वत राशि बरामद हो चुकी है।

आरोपीगण से पूछताछ व कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।